


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21-1-20

अधिकता इजयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र  
खगन से सम्बन्धित मूल अपील का आज  
निस्तारण हो चुका है। इसलिये विचारधीन  
प्रार्थना पत्र खगन को आगे चलाये जाने का  
औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खगन  
खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसब मुक्तार  
की जाकर नम्बर से कम हो एवं संगन  
मूल अपील पत्रावली की जाके। निर्णय आज  
दिनांक 21-1-2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
जिला कलेक्टर  
बोसा

